

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक: जीविवि/परीक्षा-2/गोप0/2017/1218

दिनांक: 27.09.2017

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त नर्सिंग महाविद्यालय,
सम्बद्ध जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विषय :- महाविद्यालय में परिनियम 28(17) के अन्तर्गत पदस्थ एवं ई.सी. से अनुमोदित शिक्षकों की जानकारी प्रदान करने बावत।


उपर्युक्त लेख है कि आपके महाविद्यालय में परिनियम 28(17) के अन्तर्गत पदस्थ एवं ई.सी. से अनुमोदित शिक्षकों की जानकारी मय दस्तावेजों (शिक्षक की परिनियम 28(17) के अन्तर्गत नियुक्ति का पत्र एवं विश्वविद्यालय की ई.सी. द्वारा अनुमोदन का पत्र) के इस कार्यालय में 03 दिवस में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे मूल्यांकन कार्य में शिक्षकों का सहयोग लिया जा सके। यदि निर्धारित समयसीमा में आपके द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो यह मान लिया जावेगा कि आपके महाविद्यालय में परिनियम 28(17) के अन्तर्गत कोई भी शिक्षक नियुक्त नहीं है तथा तदानुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही सम्पन्न की जावेगी।

अतः उपरोक्तानुसार जानकारी 03 दिवस के भीतर इस कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराकर परीक्षा अत्यावश्यक कार्य में सहयोग प्रदान करें।


परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


उप-कुलसचिव(गोपनीय/परीक्षा)